

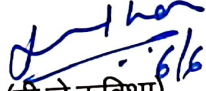
कार्यालय आदेश

मुख्य वन संरक्षक, जयपुर के पत्रांक 2877 दिनांक 06.06.2025 से प्राप्त प्रस्तावानुसार अरावली विकास हेतु अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित स्मृति वन में मियावाकी वनीकरण द्वारा पौधारोपण एवं वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, सरिस्का बाध परियोजना, अलवर के पत्रांक 3318 दिनांक 05.06.2025 से प्राप्त प्रस्तावानुसार हरित अरावली वृक्षारोपण परियोजना अन्तर्गत विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर रेज जमवारामगढ अन्तर्गत अरावली की पहाडियों में स्थित बीट आडाडुंगर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वृक्षारोपण आयोजन हेतु बजट मद 4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय, 01-वानिकी, 102-समाज तथा फार्म वानिकी, 18-हरित अरावली विकास परियोजना, 01-वन विभाग के माध्यम से, 63-वृक्षारोपण में आयोजन, वृक्षारोपण एवं संधारण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नानुसार बजट आवंटन किया जाता है।

क्र.सं.	मुख्य वन संरक्षक	बजट मद	आवंटित राशि (रु.लाखों में)
1	मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	4406-01-102-18-01-63-वृक्षारोपण	8.00
2	वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, सरिस्का बाध परियोजना, अलवर	4406-01-102-18-01-63-वृक्षारोपण	8.00
		योग:-	16.00

कृपया आवंटित बजट के संबंध में निम्न कार्यवाही शीघ्र किया जाना सुनिश्चित कराये:-

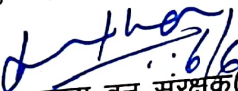
1. उक्त बजट संबंधित कार्यालयों को आवंटित कर इस कार्यालय को भी सूचित करावें।
2. उक्त आवंटन में यदि बचत हो तो वह राशि इस आवंटन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर समर्पित कर दी जायें।
3. कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से आवश्यक रूप से जारी की जावे अथवा करा ली जावें तथा राज्य सरकार के वित्तीय निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जायें।
4. बजट का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर उपापयन, व्यवबनतम उमदजद्ध एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करते हुए बजट सीमा में करे। इन नियमों/आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियमितताओं के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।


(टी.जे.कविथा)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक(विकास)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 1()2025/अरावली बजट घोषणा/विकास/प्रमुखसं/ 1735-1741 दिनांक 06/06/2025

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:
1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर
 2. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर
 3. वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, सरिस्का बाध परियोजना, अलवर
 4. वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर
 5. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा)/संकलित शाखा (सांख्यिकी अनुभाग)/कम्प्यूटर शाखा
- वेबसाइट पर अपलोड हेतु।


अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक(विकास)
राजस्थान, जयपुर